

16. 13
विविध बैंक प्र0सं0 54/2017 बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सूरतगढ़ बनाम 1-
नरेन्द्रकुमार शर्मा पुत्र श्री ताराचंद शर्मा मार्फत श्री गणपति पशु आहार बस
स्टेण्ड के पास, सूरतगढ़-ऋणी 2-संजय शर्मा पुत्र श्री ताराचंद शर्मा वार्ड न0
13 सूरतगढ़ 3-राजेन्द्रकुमार पुत्र शंकरलाल ग्राम सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
व विविध बैंक प्रकरण सं0 92/2015 बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सूरतगढ़ बनाम
1- नरेन्द्रकुमार शर्मा व संजय कुमार शर्मा पुत्र श्री ताराचंद शर्मा मार्फत श्री
गणपति पशु आहार बस स्टेण्ड के पास, सूरतगढ़-ऋणी 2-संजय शर्मा पुत्र
श्री ताराचंद शर्मा मार्फत श्री गणपति पशु आहार बस स्टेण्ड के पास, सूरतगढ़
3-राजेन्द्रकुमार पुत्र शंकरलाल मार्फत अम्बे कम्प्युटर डॉ0 संजय गबजाज
अस्पताल के पास, सूरतगढ़

31-7-2017

प्रार्थी ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के अभिभाषक श्री गुरचरण सिंह
उपस्थित है प्रार्थी बैंक के अभिभाषक श्रीगुरचरण सिंह की बहस पूर्व में सुनी
जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक गुरचरण सिंह का कथन था कि उनके द्वारा
एक प्रा0 पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति
हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है (जिसे
आगे अधिनियम कहा जाकर सम्बोधित किया जावेगा) कि प्रार्थी बैंक ने श्री
नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ताराचंद शर्मा मार्फत श्री गणपति पशु आहार, बस स्टेण्ड
के पास, सूरतगढ़ को ऋण सुविधा के रूप में 9,75,000रूपये (नौ लाख
पिचहतर हजार) ऋण दिनांक 19.03.2014 को स्वीकृत किया था। ऋण की
सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीयान नरेन्द्रकुमार शर्मा व श्री संजय शर्मा ने अपनी
सम्पति वार्ड न0 13 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर स्थित भूमि व भवन क्षेत्रफल
1200 वर्गफीट प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थीगण ऋणी/जमानतदारों
द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज का भुगतान समय पर नहीं किया गया है जिस
कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.03.2015 को एन.पी.ए. हो गया। अप्रार्थी
ऋणी की ओर दिनांक 30.04.2015 को ऋण राशि 10,53,247/-रूपये एवं
इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के
अन्तर्गत 60 दिवस के रजि0 नोटिस दिनांक 08.05.2016 को भिजवाये गये थे
नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीयान द्वारा बैंक की बकाया राशि का
भुगतान नहीं किया गया है। इसलिए अप्रार्थीयान श्री नरेन्द्रकुमार शर्मा एवं श्री
संजय शर्मा द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी
सम्पति वार्ड न0 13 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर स्थित भूमि व भवन क्षेत्रफल
1200 वर्गफीट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया
जावे।

श्रीगंगानगर
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त ऋण की एवज में बंधक रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा पुलिस की सहायता से प्राप्त करने के लिए एक अन्य प्रा० पत्र दिनांक 28.10.15 को प्रस्तुत कर रखा है जो प्रकरण सं० 92/2015 के रूप में दर्ज होकर विचाराधीन है और हस्तगत प्रकरण सं० 54/2017 भी इसी ऋण एवं बंधक रखी गयी उक्त सम्पत्ति से संबंधित है। इसलिए दोनो प्रकरणों का एक ही निर्णय से निस्तारण किया जा रहा है। इसलिए निर्णय की एक प्रति दूसरे प्रकरण सं० 92/2015 में भी रखी जावे जो इसी निर्णय से निर्णित समझा जावेगा। प्र०सं० 92/15 में प्रार्थी बैंक के अभिभाषक श्री शिवनारायण बिश्नोई उपस्थित नहीं है।

मैंने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने कुल 9,75,000—रूपये (नौ लाख पचहतर हजार) का ऋण दिनांक 19.03.2014 को अप्रार्थी को स्वीकृत किया था जिसकी सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीयान नरेन्द्रकुमार शर्मा एवं श्री संजय शर्मा द्वारा अपनी सम्पत्ति वार्ड न० 13 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर स्थित भूमि व भवन क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट बैंक के पास बंधक रखी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के ऋण राशि का भुगतान नियमित रूप से न किया जाने के कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.03.2015 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया और दिनांक 08.05.15 को धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 30.04.2015 को बकाया राशि 10,53,247 रु० जमा करवाने के लिए 60 दिवस का रजि० ए.डी. नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी बैंक के प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण को दिनांक 08.05.2015 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के रजि० नोटिस की तामील होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों से उक्त नोटिस पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप या कोई अभ्यावेदन बैंक को प्राप्त नहीं हुआ है और न ही उनके द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थीयान नरेन्द्रकुमार शर्मा एवं श्री संजय शर्मा द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी सम्पत्ति वार्ड न० 13 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर स्थित भूमि व भवन क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाने की प्रार्थना की गयी है।


चूंकि प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त भिजवाये गये धारा 13(2) के रजि. ए.डी. नोटिसों के संबंध में प्रस्तुत रजिस्ट्री रसीदें एवं पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी रजिस्टर्ड डाक वितरण तस्दीक की प्रस्तुत प्रतियों एवं प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र के अनुसार एवं प्रार्थी बैंक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्र 25.07.17 के अनुसार धारा 13(2) के रजि० नोटिस रजिस्ट्री रसीद सं० आरआर787103773 इन व डिलीवरी रसीद प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 15.05.15 को अप्रार्थी नरेन्द्रकुमार को व रजिस्ट्री रसीद आरआर787103645 इन व डिलीवरी रसीद प्रमाण पत्र अनुसार दि० 15.05.15 को अप्रार्थी संजय शर्मा को

राम
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

व रजिस्ट्री रसीद सं० आरआर 787103637इन दि० 14.05.15 अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हुआ है परिणाम स्वरूप अप्रार्थी राजेन्द्रकुमार के हस्ताक्षर धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 08.05.15 पर उपलब्ध है। अप्रार्थी संजय शर्मा को रजिस्ट्री डाक के अतिरिक्त व्यक्तिगतरूप से भी नोटिस दिनांक 27.05.15 को तामील हुआ है परिणाम स्वरूप अप्रार्थी संजय शर्मा के हस्ताक्षर धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 08.05.15 पर उपलब्ध है। इस प्रकार तीनों अप्रार्थीयान ऋणी व जमानतदारों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है। प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र अनुसार भी धारा 13(2) के नोटिस की तामील अप्रार्थीयान ऋणी व गारन्टरो पर हो चुकी है। इसके बावजूद भी उनके द्वारा बैंक की बकाया उक्त राशि जमा नहीं करवाई गई है और न ही नोटिस के संबंध में कोई आक्षेप व अभ्यावेदन प्रार्थी बैंक को पेश किया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी नरेन्द्रकुमार शर्मा संजय शर्मा के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास ऋण की सुरक्षा की एवज में बन्धक रखी गयी सम्पति वार्ड न० 13 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर स्थित भूमि व भवन क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ोदा का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीगण नरेन्द्रकुमार शर्मा व संजय शर्मा द्वारा प्रार्थी बैंक के पास ऋण की सुरक्षा की एवज में बन्धक रखी गयी सम्पति वार्ड न० 13 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर स्थित भूमि व भवन क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पति का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31-07-2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(ज्ञाना सम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

1557-58
18-8-17